JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the state of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurugram, the 3rd July, 2023

F. No. JERC-25/2019.—In exercise of the powers conferred under Sub-section (1) of Section 181 read with Clauses (zd), (ze) and (zf) of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling the Commission in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (UTs), after previous publication, hereby issue the following Order: -

The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations 2019 (hereinafter referred as "Renewable Energy Tariff Regulations, 2019") were applicable up to 23rd July, 2022 and was extended till 23rd July, 2023.

In pursuance of Regulation 5 of the Renewable Energy Tariff Regulations, 2019, the Commission extends the period of applicability of the said regulations till further orders or till the notification of the new Terms and Conditions for Tariff Determination from Renewable Energy Sources Regulations, whichever is earlier.

(S.D. Sharma)
Secretary (I/c), JERC

I/779/2023

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 03 जुलाई, 2023

सं. जेईआरसी-25/2019-विद्युत अधिनियम, 2003 के खंड (जेडडी), (जेडई), और (जेडएफ) के साथ पठित धारा 181 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों और इसकी ओर से आयोग की समर्थकारी अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए, गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, पिछले प्रकाशन के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है: -

गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2019 (इसके बाद "नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम, 2019" के रूप में संदर्भित) 23 जुलाई, 2022 तक लागू थे और 23 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दिये गए ।

नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 5 के अनुसरण में, आयोग उक्त विनियमों की प्रयोज्यता की अवधि को अगले आदेश तक या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए नए नियम और शर्तें विनियम की अधिसूचना तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाता है।

सुनील

(एस.डी.शर्मा)

सचिव (प्रभारी), जेईआरसी